टिप्पणी

22

विधायिका

आपने पिछले पाठ में संघीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका के बारे में पढ़ा जो विधायिका क्रमशः संसद और राज्य विधान मण्डल के प्रति उत्तरदायी हैं। संघीय विधायिका अर्थात संसद में राष्ट्रपति एवं संसद के दोनों सदन; लोक सभा और राज्य सभा सम्मिलित होते हैं। लोक सभा; जिसे निम्न सदन भी कहते हैं, लोगों का सदन होता है जिसके सदस्यों का चुनाव सीधे जनता (लोगों) द्वारा किया जाता है। राज्य सभा उच्च सदन है जो भारतीय संघ के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं तथा संघीय क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का अभिन्न अंग है यद्यपि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। इसी प्रकार राज्यपाल भी राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है। राज्य विधान मण्डल द्विसदनीय व एक सदनीय दोनों ही तरह के हैं। जहां द्विसदनीय विधानपालिका है वहां निम्न सदन को विधान सभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। इस पाठ में हम केन्द्र तथा राज्यों की विधायी इकाइयों के बारे में अध्ययन करेंगे।

उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप:

- समझ सकेगें कि, भारत का राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है;
- संघीय तथा राज्य विधायिका के संगठन का वर्णन कर पायेगें;
- भारतीय संसद तथा राज्य विधायिका की विभिन्न शाक्तियों तथा कार्यों की व्याख्या कर सकेगे;
- समझ सकेगें कि लोक सभा किस प्रकार राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली है;
- साधारण और धन विधेयक में अन्तर कर पाएगे;
- संसद की विधि निर्माण की प्रक्रिया समझ सकेगें; तथा
- संसद की कार्य और शक्तियों की राज्य विधान मण्डलों की कार्य और शक्तियों से तुलना कर सकेगें।

22.1 संसद का संगठन

भारतीय संसद में भारत का राष्ट्रपति तथा दोनों सदन; लोक सभा और राज्य सभा सम्मिलित होते हैं। लोक सभा के सदस्यों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है और राज्य सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है।

चित्र 22.1: संसद भवन, नई दिल्ली

22.1.1 राज्य सभा: सदस्यता और निर्वाचन

भारत की संविधान सभा संघवाद के सिद्धान्तों को मस्तिष्क में रख कर राज्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य सभा की आवश्यकता पर एकमत थी। राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। उनमें से 12 सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर मनोनीत करता है। शेष सदस्यों को राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा निर्वाचित करते हैं। अमेरीकी सीनेट के विपरीत जहां 50 राज्यों से एक समान दो सदस्य आते हैं वहां भारत के राज्यों की परिषद अर्थात राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं होता। विभिन्न राज्यों से सदस्यों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होती है।

22.1.2 योग्यता, कार्यकाल, वेतन और भत्ते

- राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्याताएं नीचे दी गई है:
  1. भारत का नागरिक होना चाहिए
  2. उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए
  3. समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित योग्यातएं पूरी करता हो।
  4. मानसिक रूप से अस्वस्थ, दीवालिया अथवा केन्द्र या राज्य सरकार में लाभ के किसी पद पर नहीं होना चाहिए।

22.1.3 कार्यकाल

राज्य सभा स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं किया जाता। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। प्रत्येक दो वर्ष में इसके एक तिहाई सदस्य सेवा निवृत हो जाते हैं। वे सदस्यता के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं लेकिन रिक्त स्थान पर लड़ा गया उपचुनाव केवल इसके बाकी बचे समय के लिए होता है। यह प्रणाली राज्य सभा की कार्यप्रणाली में निरन्तरता को सुनिश्चित करती है।

22.1.4 वेतन और भत्ते

राज्य सभा के प्रत्येक सदस्य को मासिक वेतन तथा चुनाव क्षेत्र भत्ता मिलता है। इसके साथ ही उन्हें अनेक अन्य लाभ जैसे निशुल्क आवास, पानी, बिजली, टेलिफोन और यात्रा सुविधाएं मिलती हैं। सेवा निवृत होने पर राज्य सभा के सदस्य मासिक पेंशन पाने के अधिकारी होते हैं।

22.1.5 राज्य सभा के पदाधिकारी

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष है जिसे सभापति कहा जाता है। सदन अपने सदस्यों में से किसी एक को उप सभापति निर्वाचित करता है। उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसलिए वह केवल अनिर्णय की स्थिति में मतदान कर सकता है। सभापति के कार्य लगभग लोकसभा के स्पीकर (अध्यक्ष) के समान ही हैं।

पाठगत प्रश्न 22.1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

(i) राज्य सभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?

(ii) अमेरीकी सीनेट और राज्य सभा में आधारभूत अन्तर क्या है?

(iii) राज्य सभा के सदस्यों को कौन चुनता है?

22.1.6 लोकसभा, सदस्यता और चुनाव

लोकसभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, के सदस्यों की संख्या 550 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इनमें से अधिकतम 530 सदस्यों को राज्यों से निर्वाचित किया जाएगा और अधिकतम 20 को केन्द्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित किया जा सकता है। लोकसभा की वर्तमान निर्वाचित सदस्य संख्या 543 है। यदि एंग्लो इन्डियन समुदाय के सदस्यों को उपयुक्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं होता तो राष्ट्रपति इस समुदाय के दो भारतीय सदस्यों को लोकसभा के लिये मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए स्थान आरक्षित होते हैं। इन चुनाव क्षेत्रों से उम्मीदवार अनुसूचित जातियां अनुसूचित जनजाति का ही होना चाहिए जिस भी वर्ग के लिये सीट आरक्षित है, लेकिन मतदाताओं का संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र होता है अर्थात सभी पात्र मतदाना जाति, वंश अथवा समुदाय के भेदभाव के बिना चुनावों में भाग लेते हैं।

लोकसभा के लिए चुनाव सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। इस के लिए मतदान करने की आयु 18 वर्ष अथवा उससे अधिक निश्चित की गई है। चुनाव गुप्त मतदान द्वारा इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ई. वी. एम.) के माध्यम से साधारण बहुमत पर आधारित होता है अर्थात सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाले को निर्वाचित घोषित किया जाता है।

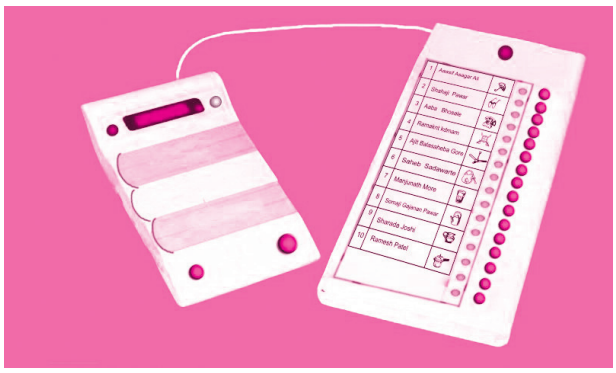

चित्र 22.2: इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन

22.1.7 योग्यता, कार्यकाल और भत्ते

- **योग्यता**

लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को

1. भारत का नागरिक होना चाहिए जिसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो
2. भारत के किसी निर्वाचन क्षेत्र से मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए।
3. यदि किसी आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ता है तो वह अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति जिस वर्ग के लिये सीट आरक्षित है, से सम्बद्ध हो।
4. ऐसी अन्य योग्यताएं पूरी करता हो जो समय-समय पर कानून द्वारा संसद निर्धारित करे।

22.1.8 कार्यकाल

लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष है। राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसे भंग कर सकता है। आपातकाल के दौरान कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है परन्तु आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 मास से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता।

22.1.9 लोकसभा के पदाधिकारी

लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है। सदन में एक उपाध्यक्ष का प्रावधान भी है। दोनों का निर्वाचन लोक सभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर अपने पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष अनिर्णय अर्थात पक्ष विपक्ष में समान मतों की स्थिति में ही मतदान कर सकता है।

लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य और शक्तियां राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के सामन ही हैं उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

(i) सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना, अनुशासन और व्यवस्था बनाए रखना, प्रश्न पूछने तथा अपनी बात सदन के समक्ष रखने लिए समय देना।

(ii) अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन में कोई प्रस्ताव, प्रतिवेदन अथवा विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

(iii) यदि कोई सदस्य दुर्व्यवहार करता है तो अध्यक्ष उसको चेतावनी दे सकता है और सदस्य को सदन से बाहर जाने को कह सकता है और बलपूर्वक भी बाहर करवा सकता है

(iv) अव्यवस्था, अनुशासनहीनता और गणपूर्ति न होने पर सदन को स्थगित करना

(v) लोक सभा का अध्यक्ष वित्त (धन) विधेयक के विषय में निर्णय लेने वाला एकमात्र अधिकारी है अर्थात कोई विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं इस पर उसका निर्णय अन्तिम होता है।

(vi) सदस्यों के अधिकारों को सभी प्रकार के अतिक्रमणों से बचाना तथा उनके विशेषाधिकारों की रक्षा करना।

(vii) दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में जब कभी दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है तो लोकसभा का अध्यक्ष ही उस अधिवेशन की अध्यक्षता करता है।

(viii) सदन में दर्शकों के प्रवेश को नियमित करना।

पाठगत प्रश्न 22.2

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये:

(क) किस समुदाय को अपर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने पर राष्ट्रपति उस समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में मनोनीत कर सकता है?

(ख) संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?

(ग) भारत के ऐसे तीन राज्यों के नाम लिखिए जिनके लोक सभा में सबसे कम सदस्य होते हैं?

(घ) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की कार्यवाही कौन चलाता है?

22.2 संसद के कार्य

भारतीय संसद विधायी, कार्यपालिका सम्बन्धी, वित्तीय, चुनावी तथा अन्य अनेक कार्य करती है। आइये हम इन कार्यों को विस्तारपूर्वक जानें।

A. विधायी कार्य एवं शक्तियां

संसद का मुख्य कार्य पूरे देश के लिए संघ सूची, समवर्ती सूची तथा विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाना है। संसद को संघ सूची में उल्लिखित 97 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसके पास समवर्ती सूची में दर्ज 47 विषयों पर भी राज्यों के साथ कानून बनाने का अधिकार हैं यदि समवर्ती सूची के एक ही विषय पर संसद और राज्य विधान मण्डल; दोनों ही कानून बनाते हैं तो विवाद की स्थिति में केन्द्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। ऐसे विषय, जिनका जिक्र तीन में से किसी भी में नहीं है, को अवशिष्ट शक्तियां कहा जाता है। केवल संसद को ही इन पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है।

संसद में प्रस्तुत किए गए सभी विधेयकों को दोनों सदनों द्वारा पारित करने के पश्चात राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही विधेयक कानून बनता है।

B. कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य एवं शक्तियां

संसदीय प्रणाली में शासन प्रशासन चलाने वाली कार्यपालिका को संसद का विश्वास अवश्य प्राप्त होना चाहिए विशेषत: लोकसभा में जहां लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी हैं। संसद कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि कार्यपालिका अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन न करे और संसद के प्रति उत्तरदायी बनी रहे। संसद निम्न प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है।

(i) दोनों सदनों के प्रत्येक कार्य दिवस का पहला एक घण्टा प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने के लिये प्रयोग किया जाता है। इससे सदस्य किसी भी मुद्दे से सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्बन्धित मन्त्री को पहले से भेजे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इस निश्चित घण्टे को प्रश्न काल कहते हैं।

(ii) संसद अपने सदस्यों को किसी भी विषय पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। इससे विपक्षी सदस्यों को सरकार की आलोचना करने तथा सत्ताधारी दल के सदस्यों को समर्थन व बचाव करने का अवसर मिलता है।

(iii) संसद विभिन्न प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखती है जैसे-

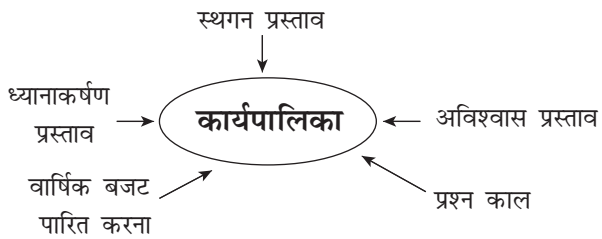

(a) **स्थगन प्रस्ताव:** संसद का कोई भी सदस्य किसी आवश्यक मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद में स्थगन प्रस्ताव ला सकता है। यदि लोकसभा अथवा राज्य सभा का अध्यक्ष प्रस्ताव को स्वीकार कर ले उस मुद्दे पर पूरी बहस की अनुमति होती है।

(b) **ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:** जब कभी जनहित से सम्बन्धित कोई आवश्यक मुद्दा सामने आता है तो संसद में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है।

(c) **आधे घण्टे की चर्चा:** यह सदस्यों को किसी विषय पर सरकार को घेरने का एक अन्य अवसर प्रदान करती है।

(d) **वार्षिक बजट पारित करना:** इसमें ऐसी चर्चा शामिल होती है जहां विपक्ष को पूरी सरकार की आलोचना करने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। बजट को स्वीकार न करना सरकार में अविश्वास की अभिव्यक्ति है।

(e) **अविश्वास प्रस्ताव:** यह प्रस्ताव केवल लोक सभा के सदस्यों द्वारा ही लाया जा सकता है। लोक सभा का कोई भी सदस्य आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। इस अवसर पर अधिकांश विपक्षी सदस्य सरकार की कमियों और त्रुटियों को प्रस्तुत कर सरकार पर नियन्त्रण बनाने अथवा जनता की नजरों में गिराने की कोशिश करते हैं। सत्ता दल उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देता है और अपने को बचाता है। जब तक सत्ता पार्टी के पास बहुमत होता है जब तक उसे हार का खतरा नहीं होता। वास्तव में यह शक्ति परीक्षण होता है विशेष रूप से गठबन्धन की सरकारों के लिए।

C. वित्तीय कार्य एवं शक्तियां

संसद जनता के पैसों की संरक्षक है। संसद की स्वीकृति के बिना कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता और न ही कोई पैसा खर्च किया जा सकता है। इसलिए संसद द्वारा वार्षिक बजट स्वीकार किया जाता है। लेकिन वास्तविक वित्तीय शक्ति लोक सभा के पास है। संविधान के अनुसार धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा से पारित होने के बाद इसको राज्य सभा में विचारार्थ भेजा जाता है। राज्य सभा को 14 दिनों के भीतर अपनी सिफारिश अथवा बिना सिफारिश के धन विधेयक को वापस भेजना होता है। लोक सभा, राज्य सभा की सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है और इस प्रकार राज्य सभा की असहमति के बावजूद धन विधेयक को पारित समझा जाता है।

D. चुनावी कार्य एवं शक्तियां

संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मण्डल के सदस्य होते हैं। इसके अतिरिक्त लोक सभा के सदस्य अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं जबकि राज्य सभा के सदस्य केवल अपना उपसभापति चुनते हैं।

E. संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य एवं शक्तियां

भारत की संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार रखती है; यद्यपि भारत के संघीय ढांचे के कारण अनुच्छेद 368 में निर्धारित विधि के अनुसार ही इस

टिप्पणी

शक्ति का सीमित ढंग से प्रयोग किया जा सकता है। किसी संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। भारतीय संविधान के अधिकांश भागों को विशेष बहुमत से संशोधित किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें संशोधन साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिनमें संशोधन के लिए संसद में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक होता है।

सर्वोचच न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संसद भारत के संविधान के मूल या आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्णय संसद की संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित करता है।

F. न्यायिक कार्य एवं शक्तियां

भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति तथा सर्वोचच न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से उनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में संसद का एक सदन आरोप तय करता है तथा दूसरा न्यायालय की भाँति उन पर सुनवाई करता है।

G. विविध कार्य एवं शक्तियां

संसद द्वारा उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी किये जाते हैं:-

(क) भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकटकालीन घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकार किया जाना अनिवार्य है।

(ख) किसी राज्य को विभाजित कर नया राज्य बनाने, दो राज्यों का विलय अथवा किसी राज्य की सीमा अथवा नाम बदलने के लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है।

(ग) यह राज्य की इच्छा है कि वह विधान परिषद रखे अथवा नहीं। यदि सम्बन्धित राज्य विधान परिषद गठित करने अथवा समाप्त करने के लिए संसद को निवेदन भेजता है तो इस प्रक्रिया को संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

पाठगत प्रश्न 22.3

निम्न कथनों के समझ सत्य/असत्य लिखिए।

(i) राज्य सभा के कार्यकाल की अवधि छः वर्ष होती है। (सत्य/असत्य)

(ii) केवल लोक सभा में ही धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है।
(सत्य/असत्य)

(iii) संसद को भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने का अधिकार है।
(सत्य/असत्य)

22.3 संसद में विधायी प्रक्रिया

संसद का आधारभूत कार्य कानून बनाना है जिसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। विधेयक किसी प्रस्तावित कानून का प्रारूप होता है। किसी मन्त्री द्वारा प्रस्तावित विधेयक को सरकारी विधेयक कहते हैं तथा संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक को निजी (प्रइवेट) विधेयक कहते हैं। यद्यपि संसद के प्रत्येक सदस्य को साधारण विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार है, फिर भी ऐसा बहुत कम किया जाता है जिसका कारण बहुदलीय व्यवस्था में किसी एक व्यक्ति के पास पर्याप्त समर्थन की कमी होती है। विधेयकों को धन विधेयक और साधारण विधेयक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसे विधेयक जिनका सम्बन्ध धन के मामलों, वित्तीय दायित्व, राजस्व और खर्च इत्यादि से होता है; उन्हें धन विधेयक कहा जाता है। ऐसे विधेयक केवल किसी मन्त्री द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं। गैर धन विधेयकों को साधारण विधेयक कहा जाता है। कुछ गैर धन विधेयक संविधान संशोधन विधेयक भी बन जाते हैं यदि उनका उद्देश्य संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना हो। आईये अब हम यह समझने का प्रयास करें कि ये विधेयक कानून या विधि बनने से पहले किन अवस्थाओं से गुजरते हैं।

22.3.1 साधारण विधेयक

(i) **प्रथम वाचन**-विधेयक का प्रथन वाचन संसद के किसी भी सदन में विधेयक प्रस्तावित करते ही शुरू हो जाता है। बिल प्रस्तावित करने के लिए निवेदन विधेयक के उद्देश्यों के साथ अध्यक्ष के पास भेजा जाता है। सदन में प्रस्तावित प्रत्येक विधेयक को गजट में प्रकाशित किया जाता है। निश्चित तिथि को सदस्य विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव लाता है। यदि सदन इसकी अनुमति दे देता है तो विधेयक औपचारिक रूप से प्रस्तावित माना जाता है।

(ii) **द्वितीय वाचन**-विधेयक का द्वितीय वाचन कानून बनाने में महत्वपूर्ण अवस्था है। इस वाचन के समय विधेयक के प्रत्येक अनुच्छेद पर संशोधन अथवा संशोधन रहित चर्चा होती है। इसके बाद सदन के पास चार विकल्प होते हैं।

(क) विधेयक पर सदन तुरन्त धारावार चर्चा करे

(ख) विधेयक को सदन की प्रवर समिति को भेज दें

(ग) दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेज दे

(घ) जनमत जानने के लिए जनता के बीच सार्वजनिक कर दे।

टिप्पणी

यदि सदन विधेयक को धारावार विचार विमर्श के लिए तुरन्त स्वीकार कर लेता है तो इस पर बहस होती है, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं जिन पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के लिए मतदान करवाया जाता है। यदि बिल पारित हो जाता है तो इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है जहां यही प्रक्रिया दोहराई जाती है।

यदि विधेयक प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजा जाता है तो इस का धारावार परीक्षण किया जाता है, विषय विशेषज्ञों अथवा विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के विचार सुने जाते हैं, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं और निश्चित तिथि पर सदन को रिपोर्ट भेज दी जाती है। इसके बाद विधेयक पर धारावार विचार होता है और संशोधानों पर मतदान करवाया जाता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से इसे स्वीकार किया जाता है तो संशोधन किए जाते हैं अन्यथा नहीं। इस प्रकार विधेयक का द्वितीय वाचन पूरा होता है।

(iii) **तृतीय वाचन:** इस अवस्था में विधेयक का प्रभारी मन्त्री सदन से बिल स्वीकार करने के लिए निवेदन करता है। बिल (विधेयक) पर मतदान होता है। यदि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य बहुमत से इसे स्वीकार करते हैं तो विधेयक पारित हो जाता है और इसको दूसरे सदन में भेज दिया जाता है जहां विधेयक को इसी प्रक्रिया और अवस्थाओं से गुजरना होता है। यदि दूसरे सदन में विधेयक पारित हो जाता है तो इसे पहले सदन में भेजा जाता है ताकि इसको भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये भेजा जा सके। विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात् यह कानून या अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति भी विधेयक पर फैसला लेने से पहले बिल को कुछ समय के लिए रोक सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो इसको दोनों सदनों द्वारा संशोधन अथवा बिना संशोधन के पुनः पारित करना होता है। इस बार राष्ट्रपति को इस पर स्वीकृति देनी ही होती है।

दोनों सदनों के बीच असहमति के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ऐसा संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है जिसकी लोक सभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। यदि बहुमत इसे स्वीकार कर लेता है तो विधेयक पारित माना जाता है और उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है।

? क्या आप जानते है

- संसद का पहला संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज प्रतिबन्ध विधेयक को पारित करने के लिए बुलाया गया था।
- संसद का दूसरा संयुक्त अधिवेशन 1978 में बैंकिंग सेवा आयोग समापन विधेयक को पारित करने के लिए हुआ था।
- एक अन्य अधिवेशन 2002 में आतंकवाद विरोधी अध्यादेश (पोटो) को अधिनियम को रूप देने के लिए बुलाया गया था।

22.3.2 धन विधेयक

धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किया जा सकता है इसको भी उन्हीं तीन अवस्थाओं प्रथम, द्वितीय और तृतीया वाचन से गुजरना होता है। जब यह लोक सभा में पारित हो जाता है तो इसको विचार विमर्श के लिए राज्य सभा में भेजा जाता है। राज्य सभा इसको एक साधारण विधेयक की भांति अस्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए राज्य सभा के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं-

(i) राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेजने से पूर्व विधेयक को ज्यों का त्यों पारित करना।

(ii) विधेयक को कुछ सिफारिशों के साथ वापिस लौटा देना। लोकसभा सभी सिफारिशों या उनमें से किसी एक को अस्वीकार कर सकती है जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाता है।

(iii) धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है लेकिन उसको कुछ सिफारिशें या बिना सिफारिश के विधेयक को लौटाना होता है। दोनों ही स्थितियों में इसको दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है और सीधे राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। अब राष्ट्रपति के पास इस पर हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता क्योंकि विधेयक प्रस्तावित करने से पूर्व ही राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर ली गई थी।

22.3.3 बजट

बजट सार्वजनिक धन का वार्षिक अनुमानित आय और व्यय का वित्तीय ब्यौरा होता है। यह विधेयक नहीं कहलाता। इसको संसद में दो भागों - सामान्य बजट और रेल बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। रेल मन्त्री रेल बजट प्रस्तुत करता है जबकि सामान्य बजट प्रस्तुत करने का दायित्व वित्तमन्त्री का है। सामान्य चर्चा के बाद, सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं जिनका उत्तर मन्त्री देता है। अब प्रत्येक मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की जाती है और उस पर मतदान करवाया जाता है। इस कार्य के लिए 1993–94 से विभागीय प्रवर समितियों की नई प्रणाली शुरू की गई है। लोकसभा संघीय सरकार के सभी प्रमुख मन्त्रालयों और विभागों के लिए समितियों का गठन करती है। यह समितियां अनुदान मांगों पर चर्चा, उनकी जाँच और सिफरिशें करती हैं जिन पर सदन में मतदान होता है और वे बिना अधिक बहस के स्वीकार कर ली जाती है।

पाठगत प्रश्न 22.4

निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

(क) सरकारी विधेयक और निजी (प्राईवेट) विधेयक में अन्तर कीजिए।

(ख) संसद में प्रस्तावित होने के सन्दर्भ में सामान्य विधेयक और धन विधेयक के बीच अन्तर कीजिए।

(ग) संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है?

टिप्पणी

22.4 राज्य विधायिका

22.4.1 राज्य विधायिका का संगठन

भारत में अधिकांश राज्य विधायिकाएं या विधानमंडल एक सदनीय हैं जिसमें राज्य विधान सभा और राज्यपाल शामिल होता है। केवल पांच राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं। वहां विधान सभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी होती है। ये राज्य हैं; बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू-काश्मीर।

22.4.2 विधान सभा

लोक सभा की भांति राज्य विधान सभा के सदस्यों को सीधे लोगों द्वारा सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर पांच वर्ष के लिए चुना जाता है। विधान सभा का सदस्य बनने की योग्यताएं वहीं हैं जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए हैं। विधान सभा के सदस्यों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य में अलग अलग है। किसी भी स्थिति में यह संख्या 500 से अधिक तथा 60 से कम नहीं हो सकती हालांकि गोवा और मिजोरम जैसे छोटे राज्यों को 40 सदस्यों की विधान सभा रखने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश की विधान सभा 403 सदस्यों के साथ सबसे बड़ी विधान सभा है। विधान सभा में कुछ स्थान अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लिए आरक्षित होते हैं। यदि एंग्लो इन्डियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त न हो तो उस राज्य का राज्यपाल उस समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है।

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि विधान सभा का सामान्य कार्यकाल पांच वर्ष है। परन्तु राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर इसको पहले भी भंग कर सकता है। यदि राज्यपाल अनुच्छेद 356 के संवैधानिक आपातकाल घोषित करने की सिफारिश करता है तो भी विधान सभा भंग की जा सकती है।

प्रत्येक विधान सभा अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनती है जो सदन की कार्यवाही चलाते हैं। लोक सभा और विधान सभा के अध्यक्षों का कार्य लगभग एक जैसा होता है। अनिर्णय या पक्ष विपक्ष में समान मत की स्थिति में दोनों निर्णायक मत दे सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 22.5

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

(क) भारत के कौन से पांच राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं हैं?

(ख) सबसे अधिक सदस्यों वाली विधान सभा का नाम लिखिए।

(ग) राज्य की विधान सभा में न्यूनतम कितने सदस्यों की प्रावधान है?

(घ) राज्य विधान सभा में अनिर्णय की स्थिति में कौन अपना निर्णयक मत दे सकता है?

(ड़) विधान सभा को भंग करने की शक्ति किसे प्राप्त है और कब वह इसका प्रयोग करता है?

22.4.3 विधान परिषद

संघीय विधायिका में राज्य सभा की तरह राज्य विधायिका या विधानमंडल में विधान परिषद उच्च सदन है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है कि भारत में केवल पांच राज्यों में विधान परिषद हैं। यह राज्य सरकार की इच्छा है कि वह विधान परिषद रखे अथवा नहीं। यदि कोई विधान सभा विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने का प्रस्ताव अपनी विधान सभा के आधे से अधिक सदस्यों के बहुमत से एवं उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित करके संसद को भेजती है तो संसद उस पर अन्तिम निर्णय ले सकती है।

विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा के कुल सदस्यों के एक तिहाई से अधिक नहीं हो सकती लेकिन यह संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। जम्मू और काश्मीर की विधान परिषद एक अपवाद है और वहां केवल 36 सदस्य हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए वही योग्याताएं आवश्यक है जो राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। लेकिन इसका संगठन थोड़ा अलग है। इसके सदस्यों में कुछ को निवार्चित है और कुछ को मनोनीत किया जाता है। सदस्यों का चुनाव करने की प्रक्रिया वैसी ही है जैसी की राज्य सभा के सदस्यों को चुनने की, अर्थात अनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है।

विधान परिषद का संगठन

(i) विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों को विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

(ii) एक तिहाई सदस्यों को स्थानीय निकायों जैसे नगरपालिका इत्यादि के सदस्यों द्वारा चुना जाता है।

(iii) सदस्यों का बारहवां भाग तीन साल पूर्व के पंजीकृत स्नाताकों द्वारा चुना जाता है।

(iv) सदस्यों का बारहवां भाग राज्य के माध्यमिक अथवा उच्चतर स्तर के स्कूली शिक्षकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है।

(v) शेष 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता के आधार मनोनीत (नामांकित) किया जाता है।

राज्य सभा की भांति राज्य विधान परिषद को कभी भंग नहीं किया जा सकता और यह एक स्थायी सदन है। इसके तिहाई सदस्य छः वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत हो जाते हैं। परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव सदस्य अपने बीच में से ही करते हैं।

पाठगत प्रश्न 22.6

उपयुक्त शब्दों द्वारा रिक्त स्थान भरिये:

(i) द्विसदनीय राज्य विधायिका के उच्च सदन को _____ कहते हैं।

(विधान सभा, विधान परिषद, संसद)

(ii) किसी राज्य में विधान परिषद बनाने अथवा समाप्त करने का अन्तिम अधिकार _____ के पास है। (विधानसभा, संसद, राज्यपाल)

(iii) जम्मू-काश्मीर की विधान परिषद में _____ सदस्य हैं। (36, 40, 56)

(iv) बिहार की विधान परिषद में कुल 96 सदस्य हैं। इनमें से _____ सदस्य राज्यपाल द्वारा नामांकित किए जाते हैं। (12, 16, 20)

22.6 राज्य विधायिका की शक्तियां और कार्य

एक सदनीय और द्विसदनीय राज्य विधायिका की शक्तियां और कार्य लगभग संघीय संसद की तरह ही है तथा संघ और राज्य के बीच शक्तियों के विभाजन पर आधारित है। भारतीय संविधान के संघीय ढांचे के कारण राज्य विधायिका की शक्तियां असीमित नहीं हैं। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर किया गया है। आइये हम राज्य विधायिका की शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत करें।

क) विधायी शक्तियां

कानून निर्माण राज्य विधायिका का प्राथमिक कार्य है। यह राज्य सूची में सम्मिलित 66 विषयों पर कानून बनाती हैं। इसके पास समावर्ती सूची में सम्मिलित 47 विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है परन्तु यह कानून उसी विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून के विरूद्ध नहीं होना चाहिए। विरोध या विरोधाभास की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।

कानून बनाने की प्रक्रिया वही है जो साधारण विधेयकों तथा धन विधेयकों के मामले में संसद में अपनाई जाती है। राज्य विधायिका द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को स्वीकृति के लिए राज्य के राज्यपाल के पास भेजा जाता है जिसके बाद वह कानून बन जाता है।

ख) वित्तीय शक्तियां

राज्य का सारा वित्त राज्य विधायिका के पूर्ण नियन्त्रण में होता है क्योंकि विधायिका की अनुमति के बिना राज्य निधि से कोई खर्च नहीं किया जा सकता।

जैसा कि संघीय संसद के मामले में स्पष्ट किया गया था कि धन विधेयक को केवल निम्न सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है अर्थात विधान सभा में और वह राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। क्योंकि 23 राज्यों में केवल विधान सभाएं हैं विधान परिषद् नहीं है अत: यहां पारित होने के बाद इसको स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल के पास स्वीकृति देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं होता। यदि विधायिका द्विसदनीय हो और विधान परिषद भी हो तो विधान सभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद को भेजा जाता है। केन्द्र में राज्य सभा की भांति राज्य विधान परिषद की शक्तियां भी इस मामले में बहुत सीमित हैं और विधेयक को 14 दिनों के अन्दर निम्न सदन को लौटाना होता है। विधान परिषद धन विधेयक में कोई बदलाव नहीं कर सकती वह सिर्फ निम्न सदन अर्थात विधान सभा से बदलाव या संशोधन की सिफारिश कर सकती है। विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशें विधान सभा पर बाध्यकारी नहीं है। दोनों ही मामलों में विधेयक को पारित माना जाता है और इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है।

ग) कार्यपालिका पर नियन्त्रण

संसदीय प्रणाली की सरकार की विशिष्ट विशेषता है कि राज्य विधायिका मुख्य मंत्री के नेतृत्व वाली मन्त्री परिषद पर पूरा नियन्त्रण रखती है।

प्रश्न पूछना, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जैसे कुछ कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने के तरीके हैं। यदि कोई गंभीर स्थिति उत्पन्न होती है तो राज्य विधान सभा किसी एक मंत्री अथवा पूरी मंत्री परिषद के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर उसे हटा सकती है।

घ) निर्वाचन सम्बन्धी कार्य

विधान सभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं।

ङ) संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्य

आप भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। संविधान के कुछ भागों में संशोधन को संसद के विशेष बहुमत से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा पुष्टि की आवश्यकता होती है। हालांकि कोई भी संविधान संशोधन की प्रक्रिया राज्य विधायिका से प्रारम्भ नहीं की जा सकती।

पाठगत प्रश्न 22.7

निम्न कथनों के समझ सत्य/असत्य लिखिए।

(i) राज्य विधायिका की संविधान संशोधन में एक सीमित भूमिका नहीं है।

(सत्य/असत्य)

टिप्पणी

(ii) राज्य विधान परिषद के एक तिहाई सदस्यों को राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्य चुनते हैं। (सत्य/असत्य)

(iii) समवर्ती सूची के विषयों पर केन्द्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। (सत्य/असत्य)

राज्य विधायिका की शक्तियों की सीमा

राज्य विधायिका की शक्तियों पर निम्नलिखित सीमायें हैं।

- यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर राज्य द्वारा बनाया गया उसी विषय पर बने केन्द्रीय कानून से विरोधाभास हो या टकराता है तो संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा।
- कुछ विधेयक भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना राज्य विधान सभा में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए राज्य के भीतर अथवा अन्य राज्यों के साथ व्यापार और वाणिज्य पर पाबन्दी लगाने से सम्बन्धित विधेयक।
- स्वीकृति देने से पूर्व, राज्यपाल विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ भेज सकता है। ऐसा विधेयक तभी कानून बनाता है जब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर देता है।
- भले ही राष्ट्रीय आपातकाल हो अथवा राष्ट्रपति शासन, उस दौरान संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है।
- संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है यदि-

  (क) दो या दो से अधिक राज्य विधायिकाएं या विधानमंडल इस सम्बन्ध में आवेदन करती हैं।

  (ख) राज्य सभा दो तिहाई बहुमत से ऐसा करने के आशय का प्रस्ताव पारित करती है।

  (ग) यदि कोई नियम अथवा कानून किसी अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को निभाने के लिए अनिवार्य बन जाता है।

  राज्य विधायिका ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हो। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को अवैध घोषित किया जा सकता है यदि सर्वोचच न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय उस कानून को असंवैधनिक पाते हैं या वह कानून संविधान के अनुरूप न हो।

आपने क्या सीखा

संघीय विधायिका को संसद कहते हैं जिसमें निम्न सदन के रूप में लोकसभा, उच्च सदन के रूप में राज्य सभा तथा भारत का राष्ट्रपति सम्मिलित हैं। लोक सभा लोगों

द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन होता है जबकि राज्य सभा, जो भारतीय संघ में सम्मिलित राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, उसके सदस्यों को विधान सभा के निर्वाचित सदस्य ही चुनते हैं। यद्यपि लोक सभा का कार्यकाल पांच वर्ष निश्चित है, फिर भी राष्ट्रपति इसको पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी भंग कर सकता है। दूसरी तरफ राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया है। दोनों ही सदनों के अपने अध्यक्ष या सभापति होते हैं जो सदन की कार्रवाई चलाते हैं। संसद कई प्रकार के कार्य जैसे विधायी, कार्यपालिका सम्बन्धी, वित्तीय, चुनावी आदि कार्य करती है। इन कार्यों को इस अध्याय में को पढ़ने के बाद आप अवश्य महसूस कर रहे होंगे कि लोक सभा राज्य सभा से तुलनात्मक दृष्टि से अधिक शक्तिशाली है।

राज्य विधायिका में राज्य विधान सभा, राज्य विधान परिषद (जो केवल पांच राज्यों में है) और राज्यपाल शामिल होता है। भारत में अधिकांश राज्यों में एकल सदनीय विधान मंडल या विधायिकाएं हैं जिसमें केवल विधान सभा और राज्यपाल ही शामिल होते हैं।

विधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं जबकि विधान परिषद के सदस्यों में से कुछ को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और कुछ को राज्यपाल द्वारा 6 वर्ष के लिए मनोनीत किया जाता है।

केन्द्र में राज्य सभा की भांति राज्य विधान परिषदें भी स्थायी सदन हैं जिनके एक तिहाई सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवा निवृत हो जाते है। राज्य सूची और समवर्ती सूची में दर्ज विषयों पर कानून बनाने के साथ राज्य विधायिका वित्तीय और चुनावी कार्य भी करती है और राज्य में मन्त्रिपरिषद पर नियन्त्रण रखती है। संवैधानिक ढांचा टूटने पर राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है।

पाठांत प्रश्न

1. लोकसभा और राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन कीजिए।
2. कानून बनने से पूर्व विधेयक को जिन विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, उनका उल्लेख कीजिए।
3. राज्य सभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है?
4. संसद के दोनां सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? ऐसे संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है?
5. यह कहना कहां तक ठीक है कि राज्य सभा का देश के वित्तीय मामलों पर लगभग कोई नियन्त्रण नहीं है? स्पष्ट कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

22.1

(क) राज्य सभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं कि यह कभी भंग नहीं होता।

(ख) अमरीकी सीनेट में सभी राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व होता है जब कि राज्य सभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व वहां की जनसंख्या के अनुपात में होता है।

(ग) राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य

(घ) सचिन रमेश तेदुंलकर

22.2

(क) एंग्लो इन्डियन समुदाय

(ख) लोक सभा अध्यक्ष

(ग) दो

(घ) गोवा, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरूणाचल प्रदेश (कोई तीन)

(ड.) उपाध्यक्ष

22.3

(i) सत्य

(ii) सत्य

(iii) असत्य

22.4

(क) कोई बिल जिसे मन्त्री द्वारा प्रस्तावित किया जाता है वह सरकारी बिल कहलाता है और निजी (प्राइवेट) बिल को संसद का कोई भी सदस्य व्यक्तिगत रूप से प्रस्तावित करता है। आम तौर पर धन विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति किसी एक सदस्य को नहीं दी जाती अर्थात धन विधेयक हमेशा सरकारी विधेयक होगा।

(ख) एक साधारण विधेयक को लोक सभा अथवा राज्य सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु धन विधेयक को केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से प्रस्तावित किया जा सकता है।

(ग) एक धन विधेयक किसी टैक्स को लगाने, हटाने या बदलने अथवा किसी वित्तीय मामले से सम्बन्धित होता है।

(घ) किसी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच असहमति की स्थिति में।

22.5

(क) बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और जम्मू काश्मीर

(ख) उत्तर प्रदेश (403 सदस्य)

(ग) 60, मिजोरम और गोवा अपवाद है। उन्हें 40 सदस्यों की विधान सभाएं रखने की अनुमति है।

(घ) विधान सभा का अध्यक्ष

(ड.) राज्य का राज्यपाल मुख्यमन्त्री की सिफारिश पर ऐसा कर सकता है।

22.6

(i) विधान परिषद

(ii) संसद

(iii) 36

(iv) 16

22.7

(i) सत्य

(ii) सत्य

(iii) सत्य